

**झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

**आदेश**

आदेश सं0-2ए/आरोप-1-12/2012 का0 ..... / राँची, दिनांक ..... अक्टूबर, 2012

श्री प्रिंस गॉडविन कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को इनके विरुद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-362/गो0 दिनांक 03.02.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में प्राप्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0- 81 दिनांक 29.04.2012 द्वारा तात्कालीक प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. श्री कुजूर से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 03.09.2012 के समीक्षोपरान्त भविष्य में इन्हें सजग रहने के निर्देश के साथ आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. श्री कुजूर की निलंबन अवधि के संबध में इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक-2ए/आरोप-1-12/2012 का0 ..... / राँची, दिनांक ..... अक्टूबर, 2012


प्रतिलिपि- प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक-2ए/आरोप-1-12/2012 का0 ..... / राँची, दिनांक ..... अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री मुख्यालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रधान सचिव कोषांग / आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल (प0. सिंहभूम) चाईबासा / आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / उपायुक्त, (प0. सिंहभूम), चाईबासा / उपायुक्त, राँची / अवर सचिव, वित्त (वै0दा0निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री प्रिंस गॉडविन कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची एवं विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2 एवं 2ए (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।